... इस्तेकम प्रदर्श करवाने / पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 25/1/16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
[illegible]

25/1/16 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी और कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं अतः साक्ष्य वादी बंद किया गया। प्रतिवादीगण भी कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद किया जाकर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29-1-16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
[illegible]

29-1-16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कुकणों की ढाणी के ख.नं. 1342 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. 1343 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 1384 रकबा 19 बीघा के के 45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी हिस्से एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन के प्रस्ताव, रास्ता व लगान के प्रस्ताव तहसीलदार [illegible] से प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक डिक्री जारी हो किन्तु निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
[illegible]

A7/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 54/2012

1. भागचन्द पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर वादी

बनाम

1. भल्लाराम
2. बुधाराम
3. पुखराज
4. बदरीराम पुत्रगण लालूराम जाति विश्नोई निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर
5. तहसीलार नागौर
6. उप पंजियन अधिकारी, नागौर प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा एडवोकेट वादी
1. श्री नरेन्द्र सारस्वत एडवोकेट प्रतिवादीगण

वाद अधीन धारा – 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
वास्ते खातेदारी घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 29-1-16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद बाबत वाद अधीन धारा – 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट वास्ते खातेदारी घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 सभी सगे भाई है जो स्व. श्री लालूराम के पुत्रगण है तथा वादी की माता सोनी का सन् 2005 में देहान्त हो चुका है तथा लालूराम के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त के खेताय खसरा नम्बर 1342 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1343 रकबा 21 बीघा, खसरा नम्बर 1384 रकबा 19 बीघा वाके मौजा कूकणों की ढाणीं (अलाय) में स्थित है तथा वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा वादी का व 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक का बराबर बराबर निहित करता है तथा सभी अपने अपने निहित हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन अभी तक भौतिक रूप से अलग अलग विभाजन होकर अलग खातेदारी दर्ज नही हुई।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वादग्रस्त भूमि का वादी रेकार्डेड खातेदार है तथा 1/5 हिस्से पर आज दिन वादी काबिज काश्त करता है और 1/5 हिस्सा वादी का निहित करता है तथा वादी अपने निहित हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने का व अपने निहित हिस्से को सुरक्षित रखने का कानूनी रूप से अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अलग अलग इन्द्राज नहीं होने से व अलग अलग विभाजन नहीं होने से तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त होने से प्रतिवादीगण नाजायज रूप से फायदा उठाने का प्रयास कर रहे है तथा खेत खसरा नम्बर 1384 मुख्य सडक पर आया है और प्रतिवादीगण सभी झगडालू व खूंखार प्रकृति के व्यक्ति है तथा इस खेत में सडक की तरफ जो हिस्सा आया हुआ है वह हिस्सा किमती होने से सभी प्रतिवादीगण एक होकर वादी को वंचित रखने की नियत से सडक की तरफ आये हुऐ हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है और वादी को अपने निहित हिस्से से बेदखल करने व सडक की तरफ के हिस्से को बेचान करने व हस्तान्तरण करने पर तुले हुऐ है तथा खेत खसरा नम्बर 1343 से भी वादी को प्रतिवादीगण एक राय होकर बेदखल करने का प्रयास कर रहे है तथा धमकियां देते है कि अगर खसरा नम्बर 1384 के सडक की तरफ कब्जा देने में व बेचान करने में आपत्ति करेगा तो खसरा नम्बर 1343 की भूमि से बेदखल कर देंगे तथा इन दोनो खेतो में किसी भी सुरत में काश्त नहीं करने देंगें। दिनांक 08.06.2012 को वादी व वादी के परिवार वाले अपने खेत के हिस्से पर सुड करने गये तो प्रतिवादीगण सभी एक राय होकर आये और खेत में सुड करने से मना कर दिया और कहा कि इस खेत पर काश्त नहीं करने देंगे तथा वादी ने व अन्य लोगो ने प्रतिवादीगण से समझाईश भी की लेकिन प्रतिवादीगण किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुऐ एंव वादी को लाठी के बल पर कब्जा छुडाने व अजनबी व्यक्तियों को बेचान/ हस्तान्तरण करने पर तुले रहे। जिससे वादी को अपने निहित हक व अधिकारों पर खतरा पैदा हो गया है।

वादग्रस्त खेत पर वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादी को तंग व परेशान करते है तथा झगडा फिसाद करते रहते है और वादी को कब्जा छुडाने व बेचान/ हस्तान्तरण करने की धमकियां देते है और वादी को अपने निहित हिस्से में सुड करने से मना कर दिया और धमकियां दी कि इस वर्ष काश्त भी नहीं करने देंगें तथा मौके पर लडाई झगडा होने की स्थिति पैदा हो जायेगी ऐसी स्थिति में वादी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमि का वादी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा निहित करता है तथा वादी अपने निहित हिस्से पर काबिज काश्तकार है इसलिए मामला प्रथम दृष्ट्या वादी के पक्ष में है तथा अगर प्रतिवादीगण अपने गलत मनसुबे में सफल हो गये तो वादी को अनेक वाद विवादों का सामना करना पडेगा तथा अपने निहित हिस्से से वंचित रहना पडेगा, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी मुआवजे से नहीं की जा सकेगी तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। इसलिए प्रतिवादीगण को

जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करें।

वाद हैतुक तब पैदा हुआ जब वादग्रस्त खेताय में वादी को दिनांक 08.06.2012 को प्रतिवादीगण के सुड करने से मना कर दिया व काश्त नहीं करने की धमकियां देने से व वादी को अपने निहित हिस्से से लाठी के बल पर बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में होने से व वादग्रस्त भूमि का बेचान/ हस्तान्तरण करने की धमकियां देने से वादग्रस्त भूमि का अलग अलग बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाकर अलग अलग खातेदारी घोषित करवाना आवश्यक हो जाने से वाद बमुकाम कूकणों की ढाणी (अलाय) में पैदा हुआ।

इस्तदुआ बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के इस कदर से फरमाया जावें कि–

(अ) खेत खसरा नम्बर 1342 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1343 रकबा 21 बीघा, खसरा नम्बर 1384 रकबा 19 बीघा वाके मौजा कूकणों की ढाणी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अलग अलग बंटवाडा कर वादी को 1/5 हिस्सा की अलग से खातेदारी घोषित की जावें।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

(स) राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी करावें।

(द) अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ वादी को फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया। जिसके फलस्वरूप औपचारिक रूप से तनकीयात कायम करने की कानूनी आवश्यकता नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई।

गवाह के रूप में वादी भागचन्द ने अपना शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वाद के साथ खतौनी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श–1 है।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने राजस्व रिकॉर्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग अलग बंटवाडा कर 1/5 हिस्सा की अलग से खातेदारी घोषित करवाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को जरिये प्रदर्श– 1 जमाबंदी ग्राम कूकणों की ढाणी सम्वत् 2066–69 एंव बयान वादी के मुताबिक खसरा नम्बर 1342, 1343, 1384 की कुल भूमि 40.06 बीघा खातेदारी दर्ज है। जिसमें से सोनी बेवा लालूराम का देहान्त मुताबिक वादपत्र के पैरा संख्या 1 के अनुसार सन् 2005 को हो चुका है। जिसकी पुष्टि वादी द्वारा बयान में की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से

पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 25.03.2015 को जवाबदेही बंद की जा चुकी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किंया जाकर ग्राम कूकणों की ढाणी के खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 1343 रकबा 21 बीघा, खसरा नम्बर 1384 रकबा 19 बीघा में सें 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन के प्रस्ताव, रास्ता व लगान के प्रस्ताव तहसीलदार नागौर से प्राप्त करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29-1-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर